COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES   COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(69)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

प्रकरण क्रं0 /2013-14 पुनरीक्षण R - 1116 - I/14

शकेश श्रीवास्तव 26/2/2014

1/ सीताराम पिता शंकरबलाई निवासी ग्राम जस्साखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन म0 प्र0

2/ भारत पिता चुन्नीलाल चमार निवासी जस्वाखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन

3/ पुष्करलाल पिता सुखराम बलाई निवासी जस्वाखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन

4/ सुदामा पिता सुखराम बलाई निवासी जस्साखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन म0 प्र0

402 / 26/2/2014

— आवेदक गण

विरुद्ध

चम्पालाल पिता नन्दाजी भील निवासी जेलरोड बदनावर तहसील बदनावर जिला धार म0 प्र0

उज्जैन कैम्प प्राप्त 18/3/14

------ अनावेदक

2-4-14

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं0 2 अ70/12-13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18/2/2014 से असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध पुनरीक्षण

सुदामा

पुष्कर

भारतलाल

सीताराम

मान्यवर महोदय,

आवेदक गण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है:-

[illegible] प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडनगर के समक्ष अनावेदक द्वारा ग्राम जस्साखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन के भूमि सर्वे क्रं [illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

69

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1116-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3	